Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 132–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 16, 2021 (SRAVANA 25, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th August, 2021

No. 21-HLA of 2021/66/20728.— Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 21-HLA of 2021

PANDIT LAKHMI CHAND STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in its Seventy- second Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Act, 2021.

Substitution of long title of Haryana Act 24 of 2014.

2. For the long title of Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014 (hereinafter called the principal Act), the following long title shall be substituted, namely:-

"to establish and incorporate a teaching-cum-training University to facilitate and promote film and television, photography, acting, dance, media, fine arts, painting and the related fields.".

Amendment of section 11 of Haryana Act 24 of 2014.

3. For sub-sections (1) and (2) of section 11 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(1) The Government shall constitute a Selection Committee consisting of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department as Chairman, one nominee of the Chancellor and one nominee each of the Executive Council and Institutions of repute/Industry in the field of Performing and Visual Arts, which shall prepare a panel of atleast three names, in alphabetical order, from which the Chancellor shall appoint the Vice–Chancellor, on the advice of the Government. The terms and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be determined by the Chancellor, on the advice of the Government. In view of the specific fields, the Vice-Chancellor shall be a renowned personality from the field of Film and Television/Fine Arts. He shall be a distinguished renowned personality in the field of Film and Television/Fine Arts having commitment to the values for which the University stands and abilities to provide leadership to the University by his professional worth, administrative competence and moral stature.

(2) The Vice- Chancellor shall hold office for a period of three years, which may be renewed for not more than one term:

Provided that he shall cease to hold the office on attaining the age of seventy years irrespective of the fact that his term has not expired.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak was established by an Act of Legislature of State of Haryana (Act 24 of 2014) by upgrading the integrated campus of Government Technical Institution(s) Societies, Rohtak, comprising of four institutes namely State institute of Fine Arts, State Institute of Design, State Institute of Film and Television and State Institute of Urban Planning and Architecture into a leading University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of Higher Education with focus on new frontiers of design, Fine Arts, Film & Television, Urban Planning and Architecture and also to achieve excellence in these and connected fields. These four institutions were affiliated with the MDU University, Rohtak and started in the year 2011 with annual intake of 240 students. The State Govt. has provided 35.97 Acres of land for the construction of Teaching and Admin block, Hostels, Guest House, Staff residencies etc. and was providing 100% Grant-in-Aid to these institutions.

The Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak is located in the heart of the Rohtak city and falls in the National Capital Region (NCR). The University is emerging as one of the leading University of the Country in the Performing & Visual Arts and hence, to transform the Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts (PLCSUPVA), Rohtak as a specialized Institute of Film Making and Acting. The Government has taken the decision to change in preamble, and eligibility criteria for the appointment of Vice-Chancellor.

In view of above, it has been decided to change in preamble, and eligibility criteria for the appointment of Vice-Chancellor, Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak.

ANIL VIJ,
Technical Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 16th August, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 21 एच.एल.ए.

पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2021
पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकता है।

2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् नाम का प्रतिस्थापन।

2. पंडित लखमी चन्द राज्य प्रर्दशन कला और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''फिल्म तथा टेलीविजन, फोटोग्राफी, अभिनय, नृत्य, मीडिया, ललित कला, चित्रकारी तथा सम्बद्व क्षेत्रों को सुकर बनाने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षण–सह–प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा निगमित करने हेतु।''।

2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारांए प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''(1) सरकार, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, अध्यक्ष के रूप में, कुलाधिपति के एक नामनिर्देशिती तथा कार्य परिषद् तथा प्रदर्शन और दृश्य कला के क्षेत्र में विख्यात संस्थाओं/उद्योग के प्रत्येक से एक नामनिर्देशिती से मिलकर बनने वाली चयन समिति का गठन करेगी, जो वर्णानुक्रम में, कम से कम तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जिनमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्श से, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। विशिष्ट क्षेत्रों के मददेनजर, कुलपति, फिल्म तथा टेलीविजन/ललित कला के क्षेत्र से सम्बन्धित विख्यात हस्ती होगा। वह फिल्म तथा टेलीविजन/ललित कला के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की महत्वता रखने वाला और अपने पेशे की काबलियत, प्रशासनिक सक्षमता तथा अपने नैतिक कद से विश्वविद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने का सामर्थ्य रखने वाला, जिनके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है, सम्मानित विख्यात हस्ती होगा।

(2) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, जिसे एक से अनधिक अवधि के लिए बढाया जा सकता है :

परन्तु उसकी आयु सत्तर वर्ष की होने पर वह पद पर बना नहीं रहेगा, तथ्यों पर विचार किए बिना उसके कार्यकाल का अभी समापन नहीं हुआ है।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

पंडित लखमी चन्द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक की स्थापना सरकारी तकनीकी संस्थान (एस) सोसाइटीज, रोहतक के एकीकृत परिसर को अपग्रेड करके हरियाणा राज्य विधानसभा (2014 के अधिनियम 24) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसमें चार संस्थान शामिल थे, अर्थात् राज्य संस्थान फाइन आर्ट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और शहरी योजना और वास्तुकला राज्य संस्थान, एक अग्रणी विश्वविद्यालय में डिजाइन और ललित कला के नए सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म और टेलीविजन, शहरी नियोजन और वास्तुकला और इन से जुड़े क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी। ये चार संस्थान एमडीयू विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध थे और 240 छात्रों के वार्षिक सेवन के साथ वर्ष 2011 में शुरू हुए थे। राज्य सरकार ने शिक्षण और प्रशासन ब्लॉक, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, स्टाफ रेजीडेंसी इत्यादि के निर्माण के लिए 35.97 एकड़ भूमि प्रदान की है और इन संस्थानों को 100 प्रतिशत अनुदान–सहायता प्रदान कर रही है।

पंडित लखमी चन्द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक, रोहतक शहर के केंद्र में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रदर्शन और दृश्य कला के क्षेत्र में देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में से एक के रूप में उभर रहा है और इसलिए पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (पी.एल.सी.एस.यू.पी.वी.ए), रोहतक को फिल्म निर्माण और अभिनय के रूप में बदलकर एक विशेष संस्थान बनाने के लिए, सरकार ने उपकुलपति की नियुक्ति के लिए प्रस्तावना और पात्रता मानदंड में बदलाव का निर्णय लिया है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला लिया गया है कि उपकुलपति. पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक की नियुक्ति के लिए प्रस्तावना और पात्रता मानदंड में बदलाव किया जाये।

अनिल विज,
तकनीकी शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9283—H.V.S.—H.G.P. Pkl.